MAP APPROVAL

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पीटल रोड,
शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं0सं0– PMAA/PCRN $\frac{\text{BHUSAULA DANAPUR}}{\text{PHULWARI SHARIF}}$/B+ G+7-08/2019 – 88 पटना, दिनांक– 06-06-2019

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री अनिल कुमार सिंह,
पिता– श्री लखनदेव प्रसाद एवं अन्य,
आर०पी०एस०, बेली रोड,
बिहार, पटना।

विषयः– **प्लान केस संख्या– PMAA/PCRN/ $\frac{\text{BHUSAULA DANAPUR}}{\text{PHULWARI SHARIF}}$/B+ G+7-08/2019 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0– PMAA/PCRN/ $\frac{\text{BHUSAULA DANAPUR}}{\text{PHULWARI SHARIF}}$/B+ G+7-08/2019 दिनांक– 2.03.2019 के संदर्भ में श्री अनिल कुमार सिंह, पिता– श्री लखनदेव प्रसाद एवं अन्य, आर०पी०एस०, बेली रोड, पटना बिहार, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान 2031 के आलोक में मौजा– भुसौला दानापुर, सर्वे थाना– फूलवारीशरीफ, थाना सं०– 40, प्लॉट संख्या– 136 (अंश), 137, खाता सं०– 31, 43 जिला, पटना में आवासीय भवन, (B+G+7) के दिनांक–15.05.2019 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 1057.27m^2 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

5. भूखण्ड के सामने 30.50मी० चौड़ी सड़क अवस्थित है। तथा आवेदक द्वारा 14.75मी० चौड़ी एवं 22.50मी० लम्बाई में भू–खण्ड सड़क हेतु छोड़ना होगा।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड़ जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी की अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी ।
9. भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
11. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल निकास जल निकास सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।
12. बिहार भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तो के अधीन राज्य में गठित भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
13. समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
14. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
15. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं पटना मास्टर प्लान 2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निमार्ण कार्य सम्पन्न करना होगा।

विश्वासभाजन,

प्रभारी निदेशक, 5.6.19
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार, पटना।